न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट मेरठ।
उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2778 सन् 2026

1. उमंग चौहान पुत्र सुखपाल,
2. सुखपाल पुत्र रोशन,
3. विनीत चौहान पुत्र नेमचन्द,

समस्त निवासीगण– ग्राम ढिकौली, थाना मवाना, जिला मेरठ।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजन

मु0अ0सं0– 43सन् 2026
धारा–115(2),333,352,351(2),324(4) बी.एन.एस.
व 3(2)5ए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989
थाना– मवाना, जिला मेरठ।

उपस्थितः प्रार्थिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री निर्दोष कुमार चौहान
राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक–श्री मोहित गुप्ता
दिनांकः 09.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण उमंग चौहान, सुखपाल तथा विनीत चौहान की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–43सन् 2026, धारा–115(2),333,352,351(2),324(4) बी.एन.एस. व धारा 3(2)5ए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना मवाना, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार द्वारा थाना मवाना, मेरठ पर दिनांक 02.02.2026 को समय 20:53 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि, ''दिनांक 02.02.2026 को समय करीब शाम 4:30 बजे प्रार्थी अपनी पत्नी सीमा के साथ जंगल से पशुओं का चारा लेकर घर आ रहा था रास्ते में उमंग पुत्र सुखपाल जाति ठाकुर के घर के सामने 4–5 कुत्ते मुझे व मेरी पत्नी को काटने को दौड़े । मैने उन कुत्तों को धमकाया तो वहां पर उमंग आ गया और गाली देकर बोला कि साले मेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुत्तो को डांटने की और बोला कि साले तुझे ऐसा मजा चखाउँगा कि तू व तेरा परिवार याद रखेगा। प्रार्थी व उसकी पत्नी अपने घर आ गये। थोड़ी देर बाद ही उमंग अपने ताउ के लड़के विनीत व अपने पिता सुखपाल के साथ प्रार्थी के घर पर आया और तीनों लोगों ने प्राथी के घर में घुसकर प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ गाली गलौंच करते हुए मारपीट की जाति सूचक शब्द कहे साले चमट्टे तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे तथ घरपर रखा

सोफा भी तोड़ दिया । शोर शराबा सुनकर आस पास के लोगों को आता देखकर तीनों लोग मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। इस मारपीट में प्रार्थी के माथे पर पत्नी के हाथ पर चोटें आयी हैं।''

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः आधार यह लिया गया है कि प्रार्थीगण्र निर्दोष हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण व वादी एक ही गांव के रहने वाले हैं। अभियुक्तगण द्वारा कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं किया गया है। वादी अभियुक्तगण से रंजिश रखता है। पूर्व में भी वादी द्वारा एक परिवाद 801/2016 मवाना न्यायालय में योजित किया था जिसमें अभियुक्तगण उन्मोचित हो चुके हैं। वादी शातिर मुकदमेबाज तथा चालाक व्यक्ति है। अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी है। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 में नोटिस पर छोड़ा गया है। अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध मारपीट, गाली गलोंच करने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण के संदर्भ में कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगणस दिनांक 29.05.2026 से अन्तरिम जमानत पर हैं। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अभियोग में सात साल तक की सजा का प्रावधान है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्तगण का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण उमंग चौहान, सुखपाल तथा विनीत चौहान की ओर से मु0अ0सं0–43सन् 2026, धारा–115(2),333,352,351(2),324(4) बी.एन.एस. व धारा 3(2)5ए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना मवाना, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2778/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा रूपया 25,000/– 25,000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जावे।

1. जमानत पर छूटने के पश्चात् अभियुक्तगण निष्पादित बन्ध पत्रों की शर्तों के अनुसार न्यायालय में हाजिर होंगे।

2. जो अभियोग प्रार्थी/अभियुक्तगण पर लगाया गया है ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेंगे।

4. प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

दिनाकः 09.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी०6240

This is uncertified copy for information/reference–
For authentic copy Please refer to certified copy only–

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.09 17:17:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court